

नियम 73 : ¹[.....]

- 1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 73 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"नियम 73 : उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावों का सुमेलीकरण

उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-3 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख के पश्चात् धारा 43 के अधीन सुमेलित किए जाएंगे:

- (क) प्रदायकर्ता की जीएसटीआर पहचान संख्या;
- (ख) प्राप्तिकर्ता की जीएसटीआर पहचान संख्या;
- (ग) जमा पत्र संख्या;
- (घ) जमा पत्र की तारीख; और
- (ङ) कर की रकम :

परन्तु जहां धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 और धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-2 को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहां उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे सुमेलीकरण की तारीख तदनुसार बढ़ाई जाएगी :

परन्तु यह और कि आयुक्त परिषद् की सिफारिशों पर आदेश द्वारा उत्पादन कर दायित्व के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि—

- (i) प्ररूप जीएसटीआर-1 में उन जमा पत्रों, जो प्ररूप जीएसटीआर-2क में बिना संशोधन के तत्स्थानी प्राप्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए थे, के जारी किए जाने के कारण उत्पादन कर दायित्व में कटौती का दावा सुमेलित माना जाएगा यदि उक्त प्राप्तिकर्ता ने विधिमन्य विवरणी प्रस्तुत की है।
- (ii) उत्पादन कर दायित्व में कटौती का दावा वहां सुमेलित समझा जाएगा जहां उत्पादन कर दायित्व की रकम दावा की गई कटौती को हिसाब में लेने के पश्चात्, उसकी विधिमन्य विवरणी में तत्स्थानी प्राप्तिकर्ता द्वारा ऐसे जमा पत्र पर स्वीकृत और उन्मोचित कटौती को हिसाब में लेने के पश्चात्, इनपुट कर दायित्व के दावे के बराबर है या उससे अधिक है।"